



2026:AHC:57756

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 11125/2026

आदेश यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक हेतु अधिवक्ता: कृष्ण दत्त अवस्थी

विपक्षी हेतु अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आरोपी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त अवस्थी उपस्थित हुए और उन्होंने तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा आरोपी आवेदक के विरुद्ध, जो कि एक रिश्तेदार है, 20.04.2017 को पीड़िता के घर में 16.04.2017 को दोपहर 2:30 बजे हुई बलात्कार की घटना के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी आवेदक निर्दोष है और उसने अपनी भाभी के साथ बलात्कार का अपराध नहीं किया है। आगे तर्क दिया कि हालांकि पीड़िता ने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में आरोपी आवेदक के विरुद्ध बयान दिया था, लेकिन बाद में मुकदमे के दौरान वह मुकर गई (hostile हो गई)। उसके मुकरने का सार आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 13 में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि व्यक्तिगत ऋण के रूप में धन के लेन-देन को लेकर विवाद था, जिसके दावे के कारण यह झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने न्यायालय का ध्यान पृष्ठ-57 पर पक्षों के बीच हुए एक समझौते की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी आवेदक को उस अपराध में झूठा फंसाया गया है जो आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। आगे उल्लेख किया गया है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि पक्षों के बीच गलतफहमी थी जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज हुई। अब पक्ष आपराधिक मामले को जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए, समझौते के आधार पर अपराध संख्या 299/2017, धारा 323, 506, 376 आई.पी.सी. (IPC), थाना- औरैया, जिला- औरैया से उत्पन्न विशेष वाद संख्या 146/2017 (राज्य बनाम आदेश यादव) की कार्यवाही, समन आदेश और आरोप पत्र को रद्द करने हेतु इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

2. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि यदि पक्ष दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर सेन उपस्थित हुए और उन्होंने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है। उन्होंने पक्षों के बीच करीबी पारिवारिक संबंधों को स्वीकार किया और आगे तर्क दिया कि पीड़िता ने पति के दबाव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पक्षों के बीच समझौते के तथ्य को स्वीकार किया।
4. 'मधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', 2025 SCC OnLine SC 1415 (प्रासंगिक पैराग्राफ 5, 6 और 7) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया है। यह माना गया है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया कि धारा 376 आई.पी.सी. के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है और सामान्यतः पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी विश्वास के साथ, दूसरी ओर, यह माना गया कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय की शक्ति सीमित नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई है जब पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और प्राथमिकी उसी के कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रभाव का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसके विपरीत, यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को बढ़ाएगा और बिना किसी उत्पादक परिणाम की संभावना के न्यायालय पर बोझ डालेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. क्या पक्षों (सूचनार्ता/पीड़िता और आरोपी) ने समझौता किया है, इसका सबसे अच्छा फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में, पक्ष 30 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और पक्षों के बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट मूल प्रति को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।
6. यदि सूचनार्ता, पीड़िता और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और इसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी भी समझौते पर विचार नहीं किया जाएगा। अत्यावश्यकता की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
7. दो महीने की अवधि के लिए, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, अन्यथा, ट्रायल कोर्ट मुकदमे को जारी रखेगा।
8. वे सभी पक्ष, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।
9. उपरोक्त के आलोक में, बी.एन.एस.एस. की धारा 528/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

शरद/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।